


2579 Sale 517500

2514 23100



24

20



नवम वाचन 19 का 118 21 3  
छोट न सुरक तकरा  
अभियोग 1992 को प्रा  
के अधिन एवं भारतीय स्टाम्प  
प्रधिनियम 1899  
की प्रकृति का एक सं  
के अधिन यथावत् स्टाम्प

18/3/15

15 18 3/15

460R

2014-15

L No 571

11-3/15

500542

17325-

174-

2-5

506

17502.47

05AA 183102

राधा देवी श्री पांचव्यां पहरात हजारे साय सरी 460R  
से गावणी 35 डि जागी मीना गावणी का बोली  
श्रीम कुमाल सरी श्रीम कुमाल से सारी राधा  
देवी ने अपने साथे हाथ के सारी राधा सरी


1. लेख्यकारी का नाम वी पुरा पता:-

राधा देवी पति कुल्लाराम काथम  
जाति कहार ग्राम + मी नाकाठीली  
धाना मेदिनीनगर जिला फलामु पैडा  
सहिणी बाल्दीयता भारतीय  
पैन-10 BT PPP 2778F

2. लेख्यधारी का नाम वी पुरा पता:-

श्री अरविन्द राम परिस्व लाली  
राम जाति कहार ग्राम पोस्ट नौडोहा  
धाना पाटन जिला फलामु पैडा

पुस्तक  
को ह कु माल  
पिता मईक वता  
जान का 15 18/3/15  
सिद्धीनगर पनाइ 18/03/15



झारखण्ड JHARKHAND डिमांड लेख्यकारी के नाम से A 431878  
 पेज नं० १८४/२५ पर चलता है। कार्यालय अनुमंडल  
 पदाधिकारी स्वर मेदिनीनगर अनुमति पाद  
 संख्या ५६०/१५-१५ जांपाक ५७१ दिनांक ११-३-१५  
 ई. है। परस्तापेज के खास मूरवर का मानस्यम  
 संलग्न है, जो इसका अभिन्न अंग है।

राधादेवी  
 १४-३-१५

पानानं० ११२ लीजी० ५६ एपेकनं० १ हलका०  
 आवासीय

ग्राम शाहपुर  
 कुवाता० ७७ (सतहतर)  
 प्लोट १५३८ (पन्डरसौ अइतीस)  
 बकवा रु ५० ३/४  
 चौहदी ३० आरुग

*(Large handwritten signature)*

दं नीम पिक्की  
 पू० रिगु राम  
 पू० सुदेवर  
 चौहदी

जवाह वाई नाई  
 पं० कुमा नाई  
 मेदिनीनगर-पसा  
 १०.१०.१



झारखण्ड JHARKHAND

A 431879

खसलाना माल :- श्री १/- रुपये के लिये शेष -


नाम माफिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अखिला  
स्थिकारी - टैनपुर जिला पलामू -

विदित हो कि पश्चिम बंगाल के खसना  
खसखस पंच की पणित सम्पति लेख्यकारी  
की हकियत फारस खसखस के द्वारा खरीदगी  
खसनी लक हासिल है जिस पर शांति पूर्वक  
आपना खसना दरपल कायम की अपना देख  
खस होले खला आ रहा है तथा आपर पणित  
सम्पति हर तरह से फाक की खाफ है किसी  
फकार के फर्ज मार देन से मुक्त है और न  
ही कोई कागजी मुकश है

यह कि इस समय लेख्यकारी की  
रुपये के लिये आवश्यकता फारस करने  
आपना जरुरी कार्य है जो बिना आपर पणित  
सम्पति की फिर किसी रुपये का प्रबंध होना  
आसंभव प्रानि हुआ।

तल्लिआ आपर पणित सम्पति की जब  
बिक्री करने के लिए फचार फसार किये तो

51.4.81



झारखण्ड JHARKHAND

A 431880

कई व्यापक एवं लेख्यकारी भी आये जसमें  
 लेख्यकारी ही सबसे अधिक मूल्य पर  
 खरीदने को तैयार हुए तथा तब जरसमन का  
 कुल व्यय वसूल पाकर यह विक्रय-पत्र क्रेता  
 लिखे तथा कुल कच्चा करण भी आज के ही  
 दिने से लेख्यकारी को सौंप दिये।

जिसे चाहिए कि ऊपर वर्णित सम्यति  
 पर लेख्यकारी अपना दरबल कच्चा कायम  
 कर घर मकान बनावे, चाहर दिवारी का निर्माण  
 करे अपने तथा अपने परिवारों के उपभोग में  
 लाया करे तथा अपना नाम सरकार के सिरीने  
 में दर्ज कराकर खजाना माल देकर मालगुजारी  
 को रसूफे हासिल किया करे। उक्त सम्यति  
 से लेख्यकारी को उनके कारखान दर गुजरे वा  
 पाज दिये।

इसलिए आज लेख्यकारी अपनी  
 तन-मन की पूरी सेहत में किना कितनी प्रकार  
 के नशा व्यापार खिलाए होंगे। तबसे अपनी  
 लाभ-हासी की अच्छी तरह से साथ-समझकर  
 किना कितनी की तदिए दाव नाजायज के यह विक्रय-  
 पत्र क्रेता लिखे तदिए कि समथ पर काम अदि

राधा देवी


51.3.15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND का प्रमाण है बिना दिनांक १२ माह C 459124  
मार्च एन २०१५ डी।

दस्तावेज में पण्डित भूमि, सरकारी भूमि,  
वन भूमि, सांघी मस्जिद की भूमि, मू-दान की भूमि  
किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि तथा कुसक हस्तों-  
तरण से सी. एन. वी. एच का एल्लेन नहीं हो रहा है।

अरविन्द राठ

18/03/15



मनोज कुमार पाठक



18-3-15  
राधादीप

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक पत्र के जिका  
द्वारा दस्तावेज में लगा है वरं हाम के  
समी लंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कालि मनीज कुमार पाठक तर्डीद'

मेदिनीनगर, पलारु

दस्तावेज नगनु अदि सं ११२/०३ डी।

नोट: कपाला परकर दोनो पत्रों का

सुना दिया वीले हीक है।

ता १२-०३-२०१५